

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / प्रशि. / आईएमए / 2017 /  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 / 10 / 2017

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
मध्यप्रदेश

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्यप्रदेश

विषय:- आई.एम.ए. के 62वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के संबंध में अनुमति बाबद्।


इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश इकाई द्वारा दिनांक 4 एवं 5 नवम्बर 2017 को आई.एम.ए. के 62वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन इन्दौर में किया जा रहा है। यदि इस अधिवेशन में आपके जिले से कोई यदि कोई चिकित्सक भाग लेना चाहता हो तो उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाये तथा उक्त अवधि में उन्हें कर्तव्य पर मानते हुए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सक द्वारा अधिवेशन में शोध पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा प्रस्तुतीकरण दिये जाने पर इससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें पात्रानुसार यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है।

सयुक्त संचालक (प्रशि)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / प्रशि. / आईएमए / 2017 / 636  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित

भोपाल, दिनांक 23 / 10 / 2017

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म0प्र0
3. अपर संचालक, वित्त, स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।

  
सयुक्त संचालक (प्रशि)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश